कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग (छ0ग0)

// आदेश //

क/ 1954 /एस.डब्ल्यू./2020 दुर्ग दिनांक 13 /10/2020

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण को देखते हुये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा दिनांक 17.07.2020 को अधिसूचना जारी कर विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत जुर्माना अधिरोपित किये जाने, जुर्माने की राशि की वसूली एवं जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित विनियम 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना प्रावधानित किया गया है। अधिसूचना के परिपेक्ष्य में महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के अधीन कोविड–19 के संक्रमण व प्रसार को रोकने के लिए मास्क अभियान चलाया जाना आवश्यक है। अगले 100 दिन जिले के लिये संवेदनशील है। पर्व और त्यौहार का समय होने के कारण भीड़ भाड़ बढ़ने तथा मास्क उपयोग न किये जाने की दशा में कोविड–19 पॉजीटिव मरीजों की संख्या में पुनः गुणात्मक वृद्धि की आशंका है, जो कि वांछित नहीं है।

अतः आयुक्त नगर निगम, एस.डी.एम, एस.डी.ओ.पी. टीम गठित कर नियमानुसार चालानी कार्यवाही करें तथा मास्क न लगाने वालों से चालान लेकर उन्हे मास्क भी वितरित किया जाये। निगम क्षेत्र में स्व सहायता समूहों से उक्त कार्य हेतु मास्क क्रय किये जा सकता है। चालान से वसूल की गई राशि में से इन्हे मास्क क्रय की राशि भुगतान की जावे। शेष राशि निगम चालान के माध्यम से निर्धारित मद में जमा कराएंगे। जुर्माने की राशि वसूली किये जाने हेतु अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत सर्व निगम आयुक्त, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, सर्व तहसीलदार/सर्व नायब तहसीलदार सर्वं नगर पुलिस अधीक्षक, सर्व पुलिस निरीक्षक को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

1	सार्वजनिक स्थानों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में	रूपये 100 /–
2	होम आईसोलेशन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में	रूपेय 1000 /–
3	सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाये जाने की स्थिति में	रूपये 100 /–
4	दुकानों/व्यवसायिक संस्थानलों के मालिकों द्वारा शोसल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में	रूपये 200 /–

235 Desktop Adesh 25-03-2020

Scanned by CamScanner

यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इन्कार किया जाता है अथवा चेतावनी पश्चात भी उपरोक्तानुसार नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित विनियम 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करायी जावे। यदि किसी दुकान/व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान/व्यवसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिये सील किया जावे। सर्व संबंधित द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रतिदिन की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत हो।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

क/ 1954/एस.डब्ल्यू./2020 दुर्ग दिनांक 13/10/2020

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग जेंज दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. सर्व, आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग/पाटन/धमधा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ संप्रेषित।
9. उप पुलिस अधीक्षक, दुर्ग शहर/ग्रामीण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. सर्व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. सर्व इंसिडेंट कमांडर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. सर्व संबंधित को सूचनार्थ व पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

236 Desktop Adesh 25-03-2020

Scanned by CamScanner

दैनिक प्रतिवेदन प्रारूप

क्रमांक	नगरीय निकाय का नाम	सार्वजनिक स्थानो पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा ढका नही पाये जाने पर अर्थदण्ड		सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर अर्थदण्ड		सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर		होम आईसोलेशन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर	
		व्यक्तियों की संख्या	आरोपित अर्थदण्ड की राशि	व्यक्तियों की संख्या	आरोपित अर्थदण्ड की राशि	व्यक्तियों की संख्या	आरोपित अर्थदण्ड की राशि	व्यक्तियों की संख्या	आरोपित अर्थदण्ड की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Scanned by CamScanner